सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
कार्तिक 22, शुक्रवार, शाके 1942–नवम्बर 13, 2020 *Kartika 22, Friday, Saka 1942–November 13, 2020*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदिA

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, अगस्त 19, 2020

संख्या एफ.37/भूउप/2020/303 :-राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 90, 90/1 का रकबा 53.14 बीघा (86926.56 वर्गमीटर) का जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अन्तर्गत वर्तमान भू-उपयोग में ट्रांसपोर्ट/औटोमोबाइल्स नगर प्रयोजनार्थ से कृषि उपज मण्डी भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 11.10.2019 (दैनिक भास्कर) एवं दिनंाक- 10.10.2019 (दैनिक नवज्योति) के द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये थे। उक्त प्रकरण के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात् प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 159वीं बैठक दिनांक 28.05.2020 के प्रस्ताव संख्या 05 में रखा जाकर ट्रांसपोर्ट/औटोमोबाइल्स नगर प्रयोजनार्थ से कृषि उपज मण्डी भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

उपान्तरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रश्नगत भूमि के पहुंचमार्ग हेतु मास्टर प्लान की 150‘ फीट प्रस्तावित (विद्यमान 100‘ फीट) सड़क के मध्य से 75‘ फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का पूर्व भू-उपयोग परिवर्तित/अनुमोदित ट्रान्सपोर्ट/ओटोमोबाईल नगर एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग से व्यावसायिक (थोक व्यापार/वेयर हाउसिंग-गोदाम (**Secondary Market**) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त उपान्तरण माननीय उच्च न्यायालय में मास्टर प्लान में भू-उपयोग उपान्तरण से संबंधी विचाराधीन रिट पिटीशन संख्या 1554/04 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक- 19.08.2020 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

राज्य स्तरीय समिति की आज्ञा से,
अनुज अग्रवाल,
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।